रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2123] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 11, 2010/आश्विन 19, 1932
No. 2123] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 11, 2010/ASVINA 19, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2010

(आयकर)

का.आ. 2519(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80गगच द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा निम्नलिखित बंधपत्रों को अधिसूचित करती है जो उक्त धारा के प्रयोजनार्थ दीर्घकालिक अवसंचरना बंधपत्रों के रूप में निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे, नामत:-

(क) बंधपत्र का नाम : भारतीय अवसंरचना वित्त कम्पनी लिमिटेड (आई आई एफ सी एल) का 'दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्र'

(ख) बंधपत्र का निर्गमकर्ता : भारतीय अवसंरचना वित्त कम्पनी लिमिटेड (आई आई एफ सी एल) का 'दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्र'

(ग) निर्गम पर सीमा :

(i) बंधपत्र वित्त वर्ष 2010-2011 के दौरान जारी किया जाएगा;

(ii) वित्त वर्ष के दौरान निर्गम की मात्रा वित्त वर्ष 2009-2010 के दौरान निर्गमकर्ता द्वारा किए गए सम्वृद्धि अवसंरचना निवेशों के पच्चीस प्रतिशत तक सीमित होगी;

(iii) इस सीमा के परियोजनार्थ 'निवेश' में ऋण, बंध पत्र, अन्य प्रकार के कर्ज, अर्थ इक्विटी, वरीयता इक्विटी तथा इक्विटी;

(घ) बंधपत्र की अवधि :

(i) दस वर्ष की न्यूनतम अवधि;

(ii) निवेशक के लिए न्यूनतम अवरुद्ध अवधि पांच वर्ष की होगी;

(iii) अवरुद्ध के उपरान्त, निवेशक द्वितीयक विपणन के माध्यम से अथवा पुन: खरीद के माध्यम से जो निर्गमकर्ता द्वारा निर्गम के समय निर्गम दस्तावेज में विहित किया गया हो, बाहर निकल सकता है;

(iv) उक्त अवरुद्ध अवधि के उपरान्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए बंधपत्रों को गिरवी अथवा धारणाधिकार अथवा माल बंधन के रूप में अनुमति दी जाएगी;

(ङ) प्रस्तुत की जाने वाली स्थाई खाता संख्या (पैन): अंशदता के लिए निर्गमकर्ता को अपना पैन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा;

(च) बंधपत्र की लब्धि:- बंधपत्र की लब्धि तदनुरुपी अवशेष परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूति पर लब्धि से अधिक नहीं होगी जैसा कि भारतीय फिक्सड इन्कम मनी मार्केट एंड डेरिवटिव एसोसिएशन द्वारा बंधपत्र के निर्गम के ठीक पहले के माह के अंतिम कार्य दिवस को सूचित किया गया है;

(छ) आगमों का अंतिम उपयोग एवं रिपोर्टिंग अथवा निगरानी तंत्र:-

(i) जैसा कि भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों में परिभाषित किया गया है, आगमों का इस्तेमाल 'अवसंरचना' ऋण के लिए किया जाएगा;

(ii) निगर्मकर्ता वित्त वर्ष की समाप्ति से तीन माह के भीतर अवरसंरचना प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के पास अवधि पत्रकों सहित इन्हें दाखिल भी करेगा ।

[अधिसूचना सं. 77/2010/फा.सं. 178/31/2010-एस ओ (आई टी ए-I)]

रमण चोपड़ा, निदेशक (आ.क.नि.-I)